

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गोरखपुर वन प्रभाग,  
गोरखपुर।

**विषय:—** गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत जनपद-महाराजगंज में टीआई डीसीयू एन०एच० पी०डब्ल्यू०डी० गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर रोड पर किमी० 33.00 से किमी० 35.5000 के मध्य प्रस्तावित बाईपास निर्माण के अंतर्गत फरेन्दा-मोहनापुर वन मार्ग पर बी०यू०पी० निर्माण में प्रभावित 0.04876 हे० अवर्गीकृत वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:—** मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-2350/2-6, दिनांक-01.01.2018


**महोदय,**

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:—

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु वनभूमि का क्षेत्रफल व किमी० संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
2. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैंड शैड्यूल (Area Calculation) संलग्न है किन्तु ऑनलाइन पार्ट-1 में गैर वनभूमि 5.6076 हे० एवं Area Calculation में 4.95124 हे० अंकित किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।
3. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु किमी० संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
4. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें किमी० संख्या ऑनलाइन भाग-1 के अनुसार अंकित नहीं है तथा ऑनलाइन अपलोड भी नहीं किया गया है तथा जिलाधिकारी की मोहर भी अंकित नहीं है।
5. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं किया गया है।
6. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु किमी० संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
7. मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में रिटेल आउटलेट के मलवा के बारे में लिखा है, जबकि प्रस्ताव बी०यू०पी० निर्माण से सम्बन्धित है। अतः उचित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न करें।
9. प्रस्ताव के प्रस्तावना पृष्ठ एवं पृष्ठ संख्या-10, 34, 35, 40 पर किमी० 3.33 से किमी० 35.500 अंकित है, जबकि प्रस्ताव के अन्य पृष्ठों पर किमी० 33.00 से किमी० 35.500 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।
10. ऑनलाइन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.04, जबकि हार्ड कापी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.4 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।
11. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 व 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः क्रमांक-5 में The area is covered under plantation working circle of the working plan, क्रमांक-6 में The area is not vulnerable to soil erosion फीड करें।
12. हार्ड कापी भाग-2 हिन्दी वर्जन के क्रमांक-7(ज) में विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
13. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।
14. ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Details में कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।
15. हार्ड कापी के पृष्ठ सं०-30 पर संलग्न शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान की वचन बद्धता प्रमाण पत्र में क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
16. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-8(i) में No Data फीड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः उचित डाटा फीड करें।
17. प्रस्ताव में कहीं पर किमी० 33.00 से किमी० 35.500, कहीं पर किमी० 3.33 से किमी० 35.500 तथा कहीं पर किमी० 33.300 से किमी० 35.500 अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर उचित किमी० अंकित करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।


भवदीय

  
(आर०आर० जमुआर)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
AMU उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2107/11-सी-FP/UP/Road/30003/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. कार्य अधीक्षक, अ०वि०नि०ई० (रा०मा०), लो०नि०वि०, गोरखपुर।

  
(आर०आर० जमुआर)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
AMU उ०प्र०, लखनऊ।